मा0 मंत्री जी(स्वतंत्र प्रभार) मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम, उ0प्र0 की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

मा0 मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांकः 18.12.2015 को विभागीय, मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक योजना भवन, लखनऊ में सम्पन्न हुई, (बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है)। प्रमुख सचिव मत्स्य एवं निदेशक मत्स्य द्वारा मा0 मंत्री जी एवं अध्यक्ष मत्स्य विकास निगम का स्वागत किया गया। उप निदेशक मत्स्य आजमगढ़ द्वारा बैठक में स्वयं भाग न लेते हुए अपने प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु भेजा गया। इसी प्रकार जनपद– औरैया, देवरिया, बदायूँ, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली के जनपदीय अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे, जिस पर मा0 मंत्री जी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य में अधिकारियों को स्वयं प्रतिभाग करने अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में बैठक में प्रतिभाग न कर पाने की दशा में निदेशक मत्स्य को कारण सहित अग्रिम रूप से सूचित करते हुए मण्डल मुख्यालय के भिज्ञ सहायक निदेषक मत्स्य को प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश दिये गये।

मा0 मंत्री जी द्वारा अपने उद्बोधन में यह कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन के विस्तार की अपार सम्भावनाएं हैं, इसके लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं समयबद्ध रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई आती है तो उच्चाधिकरियों के माध्यम से शासन एवं उन्हें अवगत कराया जाए ताकि शीघ्र से शीघ्र समस्या का निस्तारण किया जा सके।इसके उपरान्त भी यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रगति की समीक्षा 15 दिनों के अंतराल पर उनके स्तर से की जायेगी। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के माह नवम्बर, 2015 तक विभिन्न संचालित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा निम्नांकित विवरणानुसार की गयी :

2. जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्यपालन विविधीकरण योजना :–

वर्ष 2015–16 में आवंटित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 67.77 लाख का व्यय हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 67.77 प्रतिशत है, जिससे निर्धारित लक्ष्य 200 हे0 के सापेक्ष 15.38 हे0 क्षेत्र योजनान्तर्गत आच्छादित किया गया है। मा0 मंत्री जी द्वारा अवशेष भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को 31 मार्च 2016 तक प्रत्येक दशा में पूरा करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त योजना में जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष 75 प्रतिशत व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही राज्य सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी की जायेगी। जनवरी, 2016 तक अपेक्षित प्रगति नहीं लाने की दशा में मा0 मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा असंतोषजनक प्रगति वाले जनपदों के अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/उ0नि0म0(नि0)/स0नि0म0)

2. मत्स्य पालक विकास अभिकरण :–

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2015 को अभिकरण के खाते में रू0 239.43 लाख अवशेष था। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अंतर्गत 531.53 लाख धनराशि आवंटित की गयी है जिसके सापेक्ष्य मात्र रू0 85.73 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित लक्ष्य 5 हजार हेक्टेअर क्षेत्रफल के सापेक्ष माह नवम्बर, 2015 के अंत तक 2648.92 हे0 क्षेत्रफल के तालाब सुधार/निर्माण हेतु ऋण प्रार्थना पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये, जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा 1114.14 हेक्टेअर क्षेत्रफल के तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैंकों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । मा0 मंत्री जी द्वारा खराब प्रगति वाले जनपदों को अपने निर्धारित लक्ष्य, माह दिसम्बर, 2015 के अंतिम सप्ताह तक शत–प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा शत प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति करने पर प्रशस्ति पत्र जारी किये जाने के निर्देश भी मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गाजियाबाद ने आवंटित बजट धनराशि के शत प्रतिशत व्यय न हो पाने की जानकारी दी जिसके कारण मेरठ मण्डल के अन्य जनपद में यथा आवश्यक उक्त बजट धनराशि को नियमानुसार डाइवर्ट करने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेठी ने जिला योजना में रू0 6.00 लाख के सापेक्ष रू0 16.00 लाख की धनराशि आवंटित हो जाने के कारण पूर्ण बजट धनराशि का व्यय करने में असमर्थता व्यक्त की गयी जिस पर मा0 मंत्री जी द्वारा उप निदेशक मत्स्य, फैजाबाद को अमेठी जनपद की जांच कर तत्काल आख्या मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

समस्त उपस्थित अधिकारियों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा इस योजना में पूर्ण धनराशि उसी दशा में ही रिलीज करती है जब पूर्व में निर्गत धनराशि का 75 प्रतिशत का खर्च करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र मिल जाता है। अतः 15.01.2016 तक धनराशि व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य / सं0नि0म0 / उ0नि0म0 / स0नि0म0)

3. मोबाइल फिश पार्लरः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत चयनित 10 जनपदों हेतु रू0 16.50 लाख का आवंटन कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष्य माह नवम्बर, 2015 तक रू0 4.29 लाख का व्यय हो चुका है। शेष जनपद यथा रायबरेली, लखीमपुरखीरी, इलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, द्वारा बताया गया कि उनके यहां लाभार्थियों का चयन हो गया है। माह जनवरी, 2016 के अंत तक व्यय कर लिया जायेगा। जनपद– गौतमबुद्ध नगर के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लाभार्थी नहीं मिल पा रहा है, **गौतमबुद्ध नगर के जनपदीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाइल फिश पार्लर हेतु उपयुक्त लाभार्थी नहीं मिल पा रहें हैं ऐसी स्थिति में मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये की गौतम बुद्ध नगर को मोबाइल फिश पार्लर हेतु स्वीकृत धनराशि का स्थानान्तरण जनपद पीलीभीत को कर दिया जाए।** इसके अतिरिक्त जनपदीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन नियमानुसार कर लिया जाये तथा उसमें प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाये ताकि यदि कोई लाभार्थी किसी कारणवश आच्छादित नहीं हो पाता है तो प्रतीक्षा सूची का लाभार्थी लाभान्वित किया जा सके तथा योजना के संचालन में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसके अतिरिक्त समस्त मोबाईल फिश पार्लर का भौतिक सत्यापन किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य / सं0नि0म0 / उ0नि0म0 / स0नि0म0)

4. डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना :–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2093 चयनित समग्र ग्रमों को संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यकम से पूर्व संतृप्त ग्रामों की संख्या 1798 ग्राम है। अवशेष 295 ग्रामों को संतृप्त किया जाना है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में माह नवम्बर, 2015 तक 222 समग्र ग्रामों को संतृप्त किया गया । जनपद एटा के जनपदीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एटा में 09 ग्रामों का लक्ष्य था जिसमें से 08 ग्राम कम कर दिये गये हैं शेष 01 ग्राम भी संतृप्त हो गया है। उ0नि0म0, आगरा को एटा में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये। उ0नि0म0, लखनऊ को जनपद लखनऊ एवं रायबरेली का भ्रमण करके कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त समस्त जनपदीय अधिकारियों को दिनांक– 15.01.2016 तक लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश मा0 मंत्रीजी द्वारा दिये गये।

5.झींगा पालन :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना के अंतर्गत चयनित 20 जनपदों को वांछित बजट धनराशि आवंटित कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष जनपद– गोरखपुर, आगरा एवं आजमगढ़ को छोड़कर शेष जनपदों में कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हुई। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रगति सुनिश्चित कर पूर्ण धनराशि व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये। बाराबंकी जिले में प्रॉन हैचरी के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश मा0 मंत्री महोदय द्वारा दिये गये साथ ही जनपद पीलीभीत और हरदोई में भी झींगा पालन की सम्भवना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य / सं0नि0म0 / उ0नि0म0 / स0नि0म0)

6. तालाबों का पट्टा आवंटन :–

वर्ष 2015–16 में 6500 हेक्टेअर तालाबों का पट्टा आवंटन के लक्ष्य का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा किया गया था, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर, 2015 तक 3093.42 हेक्टेअर का पट्टा करा दिया गया है जो कि कुल लक्ष्य का 47.59 प्रतिशत है। प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में लगभग 70 हजार हेक्टेअर के तालाब पट्टे हेतु अवशेष हैं जिसमें से 50 हजार हेक्टेअर के पट्टे कराये जाने हेतु राजस्व विभाग के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सभी मण्डलों/जनपदों में माह में एक बार राजस्व बैठक होती है जिसमें पट्टा सम्बन्धी बिंदु पर भी विचार किया जाता है। समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये वह मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के स्टाफ बैठकों में तालाब पट्टा आवंटन की प्रगति, समीक्षा एजेन्डा में शामिल कराते हुए, उन बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करें एवं जिलाधिकारी से लगातार सम्पर्क करते हुए 31.3.2016 तक लक्ष्यों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

7. विभागीय जलाशयों का निस्तारण :–

वर्ष 2015–16 में 359 कार्यशील जलाशयों के विरूद्ध माह सितम्बर, 2015 तक 300 जलाशयों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार अभी भी 59 जलाशयों की मत्स्याखेट नीलामी शेष है, जिसे शीघ्र ही कराया जाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय अनिस्तारित जलाशयों के निस्तारण हेतु रणनीति के तहत समयबद्ध जलाशयों के निस्तारण की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। समस्त उप निदेशक मत्स्य को अकार्यशील 146 जलाशयों की भौतिक सत्यापन करने तथा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के माध्यम से मा0 मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिन जनपदों में जलाशयों की नीलामी नहीं करायी गयी है उन जनपदों को 31.12.2015 तक नीलामी की कार्यवाही करने तथा यदि निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नीलामी की कार्यवाही नहीं होती है तो सम्बन्धित स0नि0म0/उ0नि0म0 के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में श्रेणी–3 एवं श्रेणी–4, के अनिस्तारित जलाशयों के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी/कमिश्नर को समयबद्ध नीलामी कराने सम्बन्धी पत्र प्रमुख सचिव मत्स्य के हस्ताक्षर से जारी कराने के निर्देश निदेशक (मत्स्य) को दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

8. मत्स्य बीज वितरण/संचय/मत्स्य उत्पादन :–

वर्ष 2015–16 में मत्स्य बीज वितरण के लक्ष्य 18089 लाख के सापेक्ष 16992.15 लाख का वितरण किया गया तथा माह नवम्बर 2015 के अंत तक विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज 191.17 लाख संचय किया गया। उक्त के अतिरिक्त 8288.30 कुन्तल का मत्स्य उत्पादन किया गया एवं श्रेणी– एक, दो, तीन व चार के जलाशयों से रू0 274.92 लाख की आय अर्जित की गयी । मा0 मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि सण्डीला मत्स्य प्रक्षेत्र हरदोई में कर्मचारी मत्स्य बीज उपलब्ध कराते है, परंतु उपभोक्ता को रसीद नहीं देते है।इस सम्बन्ध में उ0नि0म0, लखनऊ को प्रकरण में पूर्ण जांच कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये।

जनपद– फर्रूखाबाद के जनपदीय अधिकारी द्वारा तालाबों में पानी की कमी के कारण कम मत्स्य बीज वितरण की स्थिति बतायी गयी, जिस पर प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा उप निदेशक मत्स्य कानपुर को तथ्यपरक जांच करते हुए जांच आख्या मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। मा0 मंत्री जी द्वारा मत्स्य बीज वितरण के लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति मार्च 2016 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

9. एन0एफ0डी0बी0 योजना :–

उक्त योजना अन्तर्गत 03 जिले यथा महराजगंज, गोण्डा एवं इटावा में प्रषिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें जनपद इटावा में प्रगति शून्य दर्शायी गयी है जिस पर प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा तत्काल प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा मा0 मंत्री जी द्वारा बरेली मण्डल को भी उक्त योजना में शामिल करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशालय/एन0एफ0डी0बी0)

10. मनरेगा योजनाः–

मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में जनपद– उन्नाव, रायबरेली, वाराणसी एवं झांसी कुल 4 जनपदों में रू0 30.82 लाख की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष कुल रू0 14.53 लाख का व्यय किया गया जिसकी एम0आई0एस0 फीडिंग भी करा दी गयी है।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

11. विभागीय प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन :–

विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से वर्ष 2015–16 हेतु 675 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह नवम्बर तक 476.60 लाख मत्स्य बीज उत्पादित किया गया है। मा0 मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा अवशेष लक्ष्यों की पूर्ति कामन कार्प मत्स्य बीज उत्पादित कर दिनांक 31.03. 2015 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।इस कार्य हेतु विभागीय बजट रू0 43.87 लाख पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है जिसके सापेक्ष माह नवम्बर,2015 तक रू0 15.53 लाख का व्यय हो चुका है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि उत्पादित मत्स्य बीज से प्राप्त आय को विभाग के लेखा शीर्षक में 31.12.2015 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0

12. सूखा राहतः–

वर्ष 2014–15 में अवर्षण से उत्पन्न सूखे के कारण प्रदेश के 44 जनपदों को सूखाग्रस्त प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया, जिनमें राहत पैकेज के रूप में रू0 586.107078 लाख के प्रस्ताव पत्र संख्या– 80 दिनांक 8.6.2015 के सापेक्ष भारत सरकार ने मत्स्य पालकों को इनपुट मद में रू0 रू0 586.107078 लाख की धनराशि राहत के रूप में अनुमन्य की गयी, जिसके सापेक्ष्य रू0 351.000016 लाख का वितरण करा दिया गया। जनपद आजमगढ़, मऊ, कौशाम्बी, औरैया, बांदा, फैजाबाद, अमेठी, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, हरदोई, सहारनपुर में व्यय नहीं किया गया है जिनमें से कौशाम्बी एवं बांदा जनपद में विभाग स्तर पर कार्यवाही नहीं की गयीं है। इन जनपदीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर निदेशक मत्स्य के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि दिनांक 31.12.2015 तक व्यय नही हुआ तो सम्बन्धित उ0नि0म0/सहा0नि0म0 का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाये। Sri Ashok

वर्ष 2015–16 में भी सूखे की स्थिति को देखते हुए समस्त जनपदों से सर्वे कराकर (सर्वे के दौरान सम्बन्धित लेखपाल से तालाब में सूखे की प्रमाणित पुष्टि कराते हुए) सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य के माध्यम से सूचना माह दिसम्बर 2015 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। Sri Ashok

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

13.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कार्प हैचरी की स्थापना हेतु रू0 12.00 लाख, सघन मत्स्य पालन हेतु ऐरेशन सिस्टम की स्थापना हेतु रू0 0.30 लाख, मत्स्य पालकों को पूरक आहार एवं मत्स्य बीज की आपूर्ति के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु रू0 234.14 लाख, जनपद बलरामपुर में मत्स्य उत्पादन क्षमता के विकास हेतु रू0 4.16 लाख एवं प्रॉन हैचरी की स्थापना हेतु रू0 8.61 लाख कुल यथा 259. 23 लाख के सापेक्ष 250.62 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है,जिसका त्वरित एवं नियमानुसार व्यय तत्काल सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य/ सं0नि0म0/ उ0नि0म0/स0नि0म0)

14. मछुआ आवास योजना :–

वर्ष 2014–15 के 647 आवासों के सापेक्ष सोलर लाइट और फैन की स्थापना हेतु राज्यांश के रूप में रू0 194.10 लाख की धनराशि सम्बन्धित 64 जनपदों को आवंटित है जिसके सापेक्ष नियमानुसार जनवरी, 2016 तक व्यय सुनिश्चित करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र मुख्यालय को सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजते हुए वर्ष 2015–16 हेतु 750 आवासों के निर्माण हेतु आवश्यक केंद्रांश निर्गत करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, किंतु उसकी स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है। भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त योजना को प्रधानमंत्री योजना में शामिल करने की प्रकिया भारत सरकार में चल रही है जिसके कारण राज्यों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। इसी अनिश्चितता के कारण केंदांश की धनराशि अभी तक जारी नहीं हो सकी।शासन द्वारा मछुआ आवास योजना को 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना की तरह चलाने हेतु गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य / सं0नि0म0 / उ0नि0म0 / स0नि0म0)

15. सहकारिता सम्बन्धी प्रगति :–

वर्ष 2015–16 में कुल निबन्धित समितियों की संख्या 1067 है जिसमें से 789 समितियां सक्रिय हैं तथा 278 समितियां निष्क्रिय हैं। मा0 मंत्री जी द्वारा उक्त निष्क्रिय समितियों को तत्काल प्रयास करके सक्रिय कराने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक मत्स्य / सं0नि0म0 / उ0नि0म0 / स0नि0म0)

मा0 मंत्री महोदय द्वारा प्रसारित अन्य निर्देश

- राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय मेलों / गोष्ठियों के लम्बित आयोजनों को माह फरवरी, 2016 में निर्धारित कर आयोजित कराया जाय।
- एन0एफ0डी0बी0 द्वारा प्रयोगशाला की साज–सज्जा हेतु अवमुक्त रू0 20.00 लाख का आवश्यकतानुसार उपयोग वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायें ।
- एन0एफ0डी0बी0 द्वारा जनपद– मेरठ के हस्तिनापुर एवं जनपद– लखनऊ के दुबग्गा मत्स्य मण्डी के सुदृढीकरण हेतु अवमुक्त रू0 40.00 लाख (क्रमशः 36 लाख एवं 04 लाख) का तत्काल उपयोग सुनिश्चित करायें।
- आर0के0वाई0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से वर्षवार आवंटित / प्राप्त धनराशि के सापेक्ष्य व्यय का विवरण मा0 मंत्री जी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
- विभाग द्वारा निर्माणाधीन प्रॉन हेचरी हेतु उपलब्ध धनराशि से किये गये कार्यों का उच्च स्तर से निरीक्षण करते हुए अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं उपलब्ध धनराशि रू0 46.00 लाख का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- एन0एम0पी0एस0 योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 1.18 करोड़ के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
- एकलव्य मत्स्य प्रषिक्षण केंद्र, चिनहट, लखनऊ में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र के संचालन हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 3.00 लाख का उपयोग माह जनवरी, 2016 में सुनिश्चित किया जाए।
- एन0एफ0डी0बी0 योजनान्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रस्ताव तैयार कर राज्य में वित्त पोषण बढ़ाया जाये तथा प्रस्ताव के प्रेषण में उच्चस्तरीय प्रयास किये जाएं।
- चकगंजरिया फार्म से गोमती हैचरी स्थानान्तरित की गयी भण्डारित सामग्री का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए जिससे सम्भावित हानि से बचा जा सके।
- मत्स्य विकास निगम के कार्मिकों को छठा वेतन दिये जाने सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
- मा0 अध्यक्ष मत्स्य विकास निगम द्वारा अनुरोध किया गया कि मत्स्य निगम को स्वयं के कार्यालय भवन की आवश्यकता है जिस हेतु चिनहट गोमती नगर, लखनऊ में उपलब्ध विभागीय भूमि पर निर्माण कार्य अनुमन्य कराये जाने की आवष्यकता है। मा0 मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी कि प्रकरण में अतिशीघ्र कार्यवाही की जाये।

(10)

उपरोक्त समस्त बिंदुओं में निर्गत निर्देशों का अनुश्रवण निदेशक मत्स्य द्वारा किया जाय तथा इसका अनुपालन कराना सभी सम्बधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या सम्बंधित संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय।

बैठक स–धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई।

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
मत्स्य उत्पादन अनुभाग,
संख्याः 05 / सत्रह–म–2015,6–9(170) / 2015
लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी,2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक मत्स्य / प्रबन्धनिदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 / प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
2. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,मत्स्य उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव,विशेष सचिव मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।